प्रेषक :

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री राधा कृष्णा सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर,
जूनियर हाई स्कूल सैक्टर-3।
गौतमबुध्द नगर ।

पत्रांक सं० शि० स०/ 2730-34 दिनांक 30/8/92

विषय :—अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता के विषय में ।

महोदय/महोदया

शासनादेश संख्या 217/15-6-92-18 एम. (7)89 दिनांक 11-5-92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानको के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा / प्रसार / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

नोटः- यदि कोई तथ्य छिपाया गया होता तो मान्यता समाप्त करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा ।

26/8/92

भवदीय
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ० सं० शि० सं० / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अपर जिला निदेशक (बेसिक) उ० प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
2- सचिव उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
3- समस्त जिला बेसिक अधिकारी मेरठ मण्डल, मेरठ । गौतमबुध्दनगर
4- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ।
5- जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ।
6- उप विद्यालय निरीक्षक / शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षिका जनपद । गौतमबुध्दनगर
7- कार्यालय गार्ड फाईल ।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

S. NO. 05

पत्रांक/शि.सं0/1117-1126/94-95 दिनांक 05.2.95

प्रेषक,

जिला-बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री [illegible] सरस्वती [illegible]
[illegible] (गाजियाबाद)

विषय :- प्राइमरी स्तर की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला-मान्यता समिति की बैठक दिनांक 05.02.1995 के प्रस्ताव सं0-09 के आधार पर कतिपय प्रबन्धों के साथ निम्न प्रकार की मान्यता प्रदान की जाती है।

(क) विद्यालय को जुलाई 94 से प्राइमरी स्तर की कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) पूर्व प्रदत्त प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता शिक्षा प्रसार विद्यालय हित/छात्र/छात्राएं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जन हित में जुलाई 94 से जून 2000 तक मान्यता प्रदान की जाती है।

(ग) विद्यालय को प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता जुलाई 94 से जून 99 तक मान्यता प्रदान की जाती है। जुलाई 99 से समयावृद्धि हेतु आवेदन करें।

प्रतिबन्ध

(1) प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति ही की जाये।

(2) विद्यालय में स्वीकृत पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ायी जायें।

(3) किसी भी अध्यापक को बिना विभागीय अनुमोदन के नियुक्त अथवा सेवा विमुक्त न किया जाय।

(4) विद्यालय में विभागीय निर्धारित शुल्क लिया जाय।

(5) विद्यालय में सभी धर्मों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश दिया जाय।

(6) विद्यालय की प्रगति 30 जून तक प्रस्तुत कर दी जाय।

(प्रभा भटनागर)
जिला-बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद